

**वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10098/1075

दिनांक : 28/08/2024

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़।

विषय : Diversion of 0.44 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R, Br. Faridabad for strengthening of service path by construction a road from Ballabgarh, Sec. 56 to Village Madalpur and Fatehabad k.m. 0.00 to 3.85 on Bank of Gurugram Canal, under forest division and Distt. Faridabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/48699/2020.

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB196/2021-CHA दिनांक 09.05.2022 ।

उपरोक्त संदर्भांकित पत्रों के सम्बन्ध में पुनः अपेक्षित मदवाईज सूचना निम्न प्रकार से आपको भेजी जाती है :-

- 1-4. प्रस्ताव में संशोधित सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 7530825/- रुपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है । ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है ।
8. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।

इसके अतिरिक्त स्टेज-1 2B से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है ।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-11 स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

27/08/24
27/08/24

CFMS:-FRT 28082024-4722



PUBLIC WORKS DEPARTMENT (B & R), HARYANA
Office of Executive Engineer,
Provincial Division, PWD B&R Br., Faridabad,
Tele – 0129-2288187
Email ID: pwd-ecpd1-faridabad@hry.nic.in



UNDERTAKING

Subject: Diversion of 0.44 HA of forest land for strengthening of service path but constructing a road from Ballabgarh Sector-56 to Village Madalpur & Fatehour Km 0.00 to 3.85 on Bank of Gurugram Canal under Forest Division and District Faridabad, Haryana. Online Proposal NO. FP/HR/Approach/48699/2020.

- (A)
- (i) प्रयोक्ता एजेंसी ने CA स्कीम अनुसार राशि जमा कर दी है।
 - (ii) प्रयोक्ता एजेंसी ने नेट प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार राशि रु 7530825/- दिनांक 18/05/2023 को जमा कर दी है।
 - (iii) प्रयोक्ता एजेंसी ने ऑनलाइन चालान के द्वारा राशि रु 7530825/- दिनांक 18/05/2023 को जमा कर दी है।
 - (iv) प्रयोक्ता एजेंसी ने ऑनलाइन चालान के द्वारा राशि रु 7530825/- दिनांक 18/05/2023 को जमा कर दी है।
 - (v) वचन पत्र सलंगन है।
 - (vi) इस कार्यलय द्वारा इस कार्य को वन विभाग की हिदायतों के अनुसार किया जाएगा।
 - (vii) स्टेज 1 की अनुमति वन विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है और पूर्ण राशि भी जमा की जा चुकी है।
 - (viii) FRA प्रमाण पत्र सलंगन है और पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

सलंगन/ उपरोक्त

कार्यकारी अभियन्ता
प्रान्तीय मण्डल, लो० नि० वि०
भवन एवं मार्ग शाखा, फरीदाबाद

193

Undertaking

Subject:- Diversion of 0.44 ha. of forest land for strengthening of service path but constructing a road from Ballabgarh, Sector-56 to Village Madalpur & Fatehpur km 0.00 to 3.85 on bank of Gurgaon canal under Forest Division and District Faridabad, Haryana. Online Proposal No.FP/HR/Approach/48699/2020.

(B)

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे काटे जायेंगे और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रस्ताव में काटे जाने वाले वृक्षों व पौधों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
- iii. वन विभाग से सम्बंधित है।
- iv. वन विभाग से सम्बंधित है।
- v. वन विभाग से सम्बंधित है।
- vi. वन विभाग से सम्बंधित है।
- vii. वन विभाग से सम्बंधित है।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- ix. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- x. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xiii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई यमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xvi. कूड़ा कंकट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।
- xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

कार्यकारी अभियंता,

प्रान्तीय मंडल,

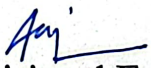
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) फरीदाबाद

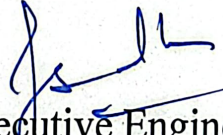
Undertaking

Subject:- Diversion of 0.44 ha. of forest land for strengthening of service path but constructing a road from Ballabgarh, Sector-56 to Village Madalpur & Fatehpur km 0.00 to 3.85 on bank of Gurgaon canal under Forest Division and District Faridabad, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Approach/48699/2020.

I hereby certify that non proposal is pending for stage-I or listed in FRCM under jurisdiction of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br. Faridabad


Sub Divisional Engineer,
Provincial Sub Division No.3,
PWD B&R Br. Faridabad.


Executive Engineer,
Provincial Division,
PWD B&R Br. Faridabad.

NEFT RTGS CHALLAN

OM SGLO AIL BANK COPY

77 Union Bank of India



MAKER ID 5975794
30 MAY 2023
BAIJNATH PRASAD

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-05-2023

Agency Name.	XEN PWD Br. Faridabad
Application No.	6148699059
MoEF/SG File No.	9-HRB196-2021-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	o/o Executive Engineer, PD HR, PWD, B&R, Sec-16A, Faridabad
Amount(in Rs)	7530824.91/-

Amount In Words : Seventy-Five Lakh Thirty Thousand Eight
Hundred and Twenty-Five Rupees Only

Executive Engineer
Provincial Division

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150696148699059 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

allan, if the payment status has not been updated
f your challan with transaction date and reference
@unionbankofindia.bank,

1777 Passed for ₹ 7530825/-
[Seventy five lac thirty thousand
eight hundred twenty five only]
238

FROM PARKING A/C
08150545

Executive Engineer
Provincial Division
PWD (B&R) Br. Faridabad

6095 # 52358452658

**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST
DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DISTRICT COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT : - Diversion of 0.44 ha. of Forest land for strengthening of service
path by constructing a road from Ballabgarh Sector 56 to village Madalpur and Fatehpur Km 0.00 to 3.85 on
bank of Gurgaon Canal, under Forest Division and District Faridabad

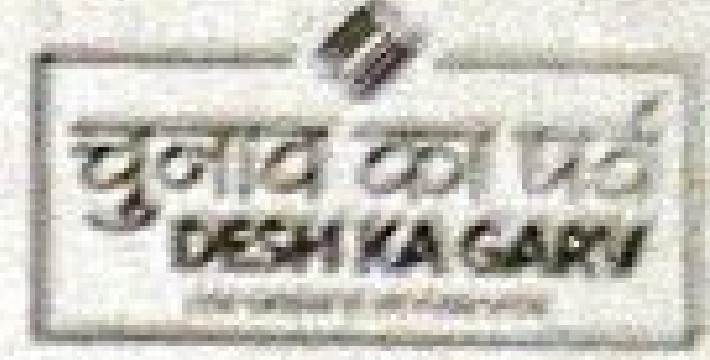
It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as
'forest' less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in Madalpur having no
recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.


Dy. Conservator of Forests
Faridabad


District Collector,
Faridabad



Office of The Deputy Commissioner, Faridabad
कार्यालय उपायुक्त, फरीदाबाद।



सेवा में

✓ उप वन संरक्षक,
फरीदाबाद।

क्रमांक 142 / एम0बी0

दिनांक: 05/04/2024

विषय:-

To issuing Certificate of FRA under FCA Act, 1980-Diversion of 0.44 ha. Of Forest land for strengthening of service path by constructing a road from Ballabgarh Sector-56 to Village Madalpur and Fatehpur Km 0.00 to 3.85 on of Gurgaon Canal, under Forest Division and District Faridabad.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 878 दिनांक 22.08.2023 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय बारे आपके कार्यालय के विषयोक्त मामले में आपको भेजकर लिखा जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3325/एम0बी0 दिनांक 15.09.2023 द्वारा जिला सांख्यिकी अधिकारी, फरीदाबाद से रिपोर्ट ली गई। जिला सांख्यिकी अधिकारी, फरीदाबाद ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक DSO(F)-2023/324, दिनांक 05.10.2023 व उप मण्डल अधिकारी (ना0), बडखल ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 322/आर0के0 दिनांक 27.03.2024 द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाई है।

उपमण्डल अधिकारी (ना0), बडखल व जिला सांख्यिकी अधिकारी, फरीदाबाद की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त महोदय, फरीदाबाद के आदेश दिनांक 03.04.2024 की अनुपालना में उक्त Certificate of FRA under FCA Act, 1980 के प्रति हस्ताक्षर करने उपरान्त आपको नियमानुसार मागामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

लिंगन:- मूल प्रमाण पत्र।



कृते: उपायुक्त फरीदाबाद।